भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1028

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**भारतीय प्रबंधन संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना**

1028. श्री रंजिब बिस्वालः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) को अपने संस्थान को चलाने तथा अपने स्नातकों को डिग्रियां प्रदान करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने का कोई विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार संसद में चालू सत्र के दौरान कोई कानून लाने पर विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. महेन्‍द्र नाथ पाण्‍डेय)**

(क) से (घ) : जी, हां। भारतीय प्रबंधन संस्‍थान को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए लोकसभा में 09 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रबंधन संस्‍थान (आईआईएम) विधेयक, 2017 प्रस्‍तुत किया गया है ताकि वे उनके छात्रों को इन संस्‍थानों द्वारा आयोजित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में डिग्रियां प्रदान कर सकें। इस विधेयक का उद्देश्‍य शैक्षणिक और वित्‍तीय मामलों में अनुरूप उत्‍तरदायित्‍व के साथ-साथ अधिक सामंजस्‍य एवं कार्यात्‍मक स्‍वायत्‍तता सुनिश्चित करना है।